बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/सा0 आ0–117/2003(स्वा0)........./ पटना, दिनांकः–..............

डा0 सुधीर कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी को विभागीय अधिसूचना स0–434(2) दिनाक–17.08 1999 द्वारा प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बिहटा, पटना से प्रा0 स्वा0 केन्द्र, दिनारा, रोहतास मे स्थानातरित किया गया। उनके द्वारा स्थानातरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे CWJC No–8462/1999 दायर किया गया, जिसमें दिनाक–06 09 1999 को पारित आदेश मे डा0 सिन्हा को विभाग मे अभ्यावेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया। उनके द्वारा दिनाक–08 04 2000 को विभाग मे अभ्यावेदन समर्पित किया गया। विभागीय अधिसूचना स0–716(2) दिनाक–22.06 2001 द्वारा डा0 सिन्हा को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुरगॉव, नालन्दा मे योगदान करने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा पुनः पदस्थापित स्थान पर योगदान नही करने के फलस्वरूप तत्कालीन अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के जॉच–प्रतिवेदन मे बिहटा रेलवे स्टेशन के नजदीक निजी प्रैक्टिस करने एवं पदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं करने के आधार पर विभागीय पत्राक–1405(2) दिनाक–02 08 2002 द्वारा सकारण आदेश पारित किया गया। विभागीय अधिसूचना स0–1946(2) दिनाक–18 10 2002 द्वारा डा0 सिन्हा को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में निलबित किया गया। उनके विरूद्ध विभागीय सकल्प स0–832(9) दिनाक–19.04 2003 द्वारा विभागीय कार्यवाही सचालित की गयी। विभागीय अधिसूचना स0–1148(9) दिनांक–24.11.2003 द्वारा निलंबन मुक्त करते हुए अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, मुरगॉव, नालन्दा मे योगदान करने एवं उनके विरूद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के प्रमाणित आरोप में निन्दन, संचयात्मक प्रभाव से 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक, विरमित होने की तिथि से अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान करने की तिथि तक की अवधि को वेतन रहित घोषित करते हुए उक्त अवधि को सेवा में टूट माने जाने का निर्णय संसूचित किया गया।

2. डा0 सिन्हा के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना स0–1148(9) दिनाक–24.11.2003 के निहित आदेश की अवहेलना करते हुए अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, मुरगॉव, नालन्दा में निलंबन मुक्ति के उपरान्त सेवानिवृति की तिथि 30 04.2018 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय सकल्प सं0–682(9) दिनाक–06.09.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। विभागीय पत्रांक–792(9) दिनाक–19.09.2022 द्वारा स्थायी पते पर पत्र प्रेषित कर एवं विभागीय पत्राक–1255(9) दिनाक–10 12.2024 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से द्वितीय कारण–पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) की मॉग की गयी।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोप, सचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त डा0 सिन्हा के विरूद्ध दिनांक–24.11 2003 से 30.04.2018 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के प्रमाणित आरोप में अधिसूचना निर्गत की तिथि से उपदान सहित शत प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त करने का विनिश्चय किया गया।

5. विभागीय पत्रांक–711(9) दिनाक–26.06.2025 एव पत्रांक–118(9) दिनांक–22.01.2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मॉग की गयी। आयोग के पत्रांक–418 दिनांक–12.05.2026 के द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया।

15/06/2026

(15)

6. अतएव डा0 सुधीर कुमार सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, बिहटा, पटना पुन अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, मुरगॉव, नालन्दा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध दिनाक–24 11.2003 से 30 04 2018 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप मे अधिसूचना निर्गत की तिथि से उपदान सहित शत प्रतिशत पेशन की राशि जब्त करने की शास्ति अधिरोपित एव ससूचित किया जाता है।

7. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः 9/सा0 आ0–117/2003(स्वा0) 607(9) / पटना, दिनांकः– 16.06.26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, पटना प्रमडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–डा0 सुधीर कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, बिहटा, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता–श्रीराम कुॅज, 204 आई०ए०एस० कॉलोनी, रूपसपुर, बेलीरोड, दानापुर, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16/06/26
सरकार के अवर सचिव।